निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 (कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 21 ग (नियम 64 देखिए)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा 156—सलूम्बर (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के लिए निर्वाचन निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि

श्री अमृतलाल मीणा

म. नं. 50 दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी, सलूम्बर जि. उदयपुर (राज.)

भारतीय जनता पार्टी

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हुए है।

स्थानः उदयपुर

दिनांकः 11 दिसम्बर 2018

हस्ताक्षर रिटर्निग ऑफ्रिसर

(धर्मराज गुर्जर) रिटर्निंग ऑकिसर विधामसभा क्षेत्र 156 सलूम्बर (अ.ज.जा) (उपबण्ड अधिकारी ए व्यवण्ड मजिहेंद्र), व

FORM 21C (See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from 156-Salumber (ST)

Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

(Name) AMRIT LAL MEENA

(Address) H. NO.50, DEENDAYAL UPPADHYAY COLONY, SALUMBER DIST. UDAIPUR (RAJ)

sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place Udaipur Date 11 Dec 2018 Signa ure
Returning Officer,
धिमराधा गुजर रिटर्निंग ऑफिसर विधानसमा क्षेत्र 156 सल्प्बर (अ.ज.जा.) 'गावण्ड अधिवादि एवं डाखण्ड मजिस्ट्रेर), स**्व**